बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या–15/आरोप (कटिहार) 02–11/2023– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–............

श्री सोनू कुमार भगत, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कटिहार सदर के विरूद्ध समाहर्त्ता, कटिहार के पत्रांक–4345/सी0, दिनांक–28.12.2022 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है। आरोप पत्र में श्री भगत के विरूद्ध श्री दुलाल कांति नंदी, प्रधान शिक्षक संघ, कटिहार से प्राप्त आवेदन में अंकित आरोप भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0–1067/2018–19 एवं अपर समाहर्त्ता, कटिहार के न्यायालय में नामान्तरण रिविजन वाद में पारित आदेश के बावजूद नामान्तरण वाद का निष्पादन नहीं करने, आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णियाँ के जनता दरबार में उक्त परिवादी की सुनवाई में परिवादी के पक्ष में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने एवं अन्य समरूप मामले में भी पारित आदेश का अनुपालन न करने तथा उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. आरोप पत्र में अंकित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–447(15), दिनांक–03.03.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री भगत द्वारा अपने अंचल कार्यालय, कटिहार के पत्रांक–1463 दिनांक–24.04.2023 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच के निमित्त विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लेते हुए आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प सं0–593(15) दिनांक–04.04.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच (प्रभारी), कटिहार को सचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार सदर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच(प्रभारी), कटिहार के पत्रांक–1230, दिनांक–30.05.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपों को पूर्णरूपेण प्रमाणित नहीं पाया गया।

5. जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य के आलोक में असहमति के बिन्दु पर आरोपी पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक–1411(15) दिनांक–06.08.2025 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन की मांग की गई जिसके आलोक में श्री भगत द्वारा अपना द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन दिनांक–26.08.2025 विभाग को समर्पित किया गया।

6. प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री भगत को "चेतावनी" देते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सोनू कुमार भगत, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कटिहार सदर सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, भागलपुर को "चेतावनी" देते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः—15/आरोप (कटिहार) 02—11/2023—51(15)/रा0, पटना—15, दिनांक—13/01/2026

ई-मेल/ निबंधित

प्रतिलिपि :— समाहर्त्ता, कटिहार/श्री सोनू कुमार भगत, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/01/26

(संजय कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Sonu kr Bhagat_CO (Katihar sadar)_ चेतावनी.doc